मेक इन इंडिया से बदलेगी गांवों की तकदीर

—सतीश सिंह

"मेक इन इंडिया" से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए सरकार को एक निश्चित रूपरेखा बनाने की जरूरत है। इस दिशा में सरकार को योजनाबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से काम करना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दर्शन "मिनीमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" का है, जिसका अर्थ है देश में सुशासन कायम किया जाए और लालफीताशाही को खत्म करके डिलीवरी प्रणाली को मजबूत किया जाए। अगर ऐसा होता है तो देश के दूरदराज के इलाकों में भी "मेक इन इंडिया" की संकल्पना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने पर ही देश के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। अपने 10 सूत्रीय एजेंडे के माध्यम से प्रधानमंत्री नौकरशाहों के मनोबल में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में सुधार, नये विचारों का स्वागत एवं उनके समीचीन होने पर उन पर अमल, कामकाज में पारदर्शिता, टेंडर और अन्य सरकारी कामों के लिए ऑनलाइन बोली, मंत्रालयों के बीच तालमेल, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए प्रणाली के तहत काम करना, अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों पर काबू, बुनियादी ढांचे में सुधार, निवेश बढ़ाने पर जोर, नीतियों व योजनाओं के अमल में समय–सीमा का ध्यान, सरकारी नीतियों में स्थायित्व तथा निरंतरता आदि कार्य करना चाहते हैं।

"मेक इन इंडिया" की संकल्पना का आगाज इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के स्वतन्त्रता दिवस पर की और ठीक इसके 40 दिनों के अंदर इसे अमलीजामा पहनाने की दिशा में अग्रसर कार्रवाई भी शुरू की गई।

"मेक इन इंडिया" एवं किए जा रहे प्रयास

"मेक इन इंडिया" का अर्थ ऐसी वस्तुओं या उत्पादों से है जिसका निर्माण भारत में किया गया हो। प्रधानमंत्री की इच्छा है कि भारत में बिकने वाली हर वस्तु पर "मेड इन इंडिया" लिखा हुआ हो। यह तभी संभव हो सकता है जब सभी वस्तुओं का निर्माण भारत में किया जाए। मौजूदा समय में भारत में बनी वस्तुओं की संख्या नगण्य है, जिसके कारण भारत को लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं का आयात दूसरे देशों से करना पड़ता है। आयात अधिक

एवं निर्यात कम होने के कारण भारत में हमेशा व्यापार घाटे की स्थिति बनी रहती है। विविध वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है, जिसका अर्जन तभी हो सकता है, जब भारत निर्यात में बढ़ोतरी करे और यह तभी संभव हो सकता है जब "मेक इन इंडिया" की संकल्पना को पूरी तरह से साकार किया जाए। सरकार "मेक इन इंडिया" को एक योजना की शक्ल देना चाहती है। इसलिए सरकार की योजना इस संकल्पना के फलीतार्थ को पूरी दुनिया में पहुंचाने की है। इसके लिए सरकार भारतीय दूतावासों की मदद ले रही है।

इस योजना की सफलता के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कारोबारियों आदि की भी सहायता ले रही है। सरकार ने खुद भी इस योजना के लिए 930 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार फिलहाल इस योजना के लिए 581 करोड़ रुपये देगी और पूरी योजना पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि "मेक इन इंडिया" से भारत को अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, जिसमें परमाणु ऊर्जा समेत अनेक दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना

"मेक इन इंडिया" के सपने को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "इंवेस्ट इन इंडिया" नाम की वेबसाइट लांच की है। माना जा रहा है कि इस वेबसाइट की मदद से विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए लुभाया जा सकेगा। दरअसल, सरकार इस वेबसाइट की मदद से निवेश में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहती है। इस वेबसाइट की मदद से सरकार नियामक प्रक्रिया पर भी निगाह रख सकती है। सरकार ने इस वेबसाइट में कारोबारियों के सवालों व समस्याओं के निदान के लिए जानकार लोगों की एक टीम को जोड़ा है, ताकि कारोबारियों की समस्याओं का निदान 72 घंटों के अंदर किया जा सके।

राज्य सरकारों में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि "मेक इन इंडिया" की संकल्पना को साकार करने के लिए देशी एवं विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सम्मेलन आयोजित करेंगे। केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास पूंजी की कमी है इसलिए ऐसा करना जरूरी है। सरकार खुद से "मेक इन इंडिया" की संकल्पना को साकार नहीं कर सकती है। इसके लिए उसे विदेशी एवं देशी निवेशकों की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए, सरकार निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार उन कंपनियों को विशेष तरजीह देना चाहती है जो नई तकनीकों से लैस हैं। इस क्रम में सरकार ने 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिसमें कैपिटल गुड्स, तकनीक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं, की पहचान की है जिनमें भारत विश्व की अगुआई कर सकता है।

इस बीच, देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ढांचे को सरल बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं पोर्टफोलियो निवेश के विलय का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन इस संशोधन के दायरे से बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र को अलग रखा गया है, क्योंकि इन्हें 'संवेदनशील क्षेत्र' माना जाता है। अभी रक्षा क्षेत्र में पोर्टफोलियो निवेश 24 प्रतिशत एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कुछ मामलों में 100 प्रतिशत तक किया जा सकता है, जबकि सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी संस्थागत निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्रमशः 49 एवं 74 प्रतिशत तक किया जा सकता है। बहरहाल, इस संशोधन के बाद 49 प्रतिशत तक के पोर्टफोलियो निवेश के लिए क्षेत्रीय नियामकों से अनुमति लेने की जरुरत नहीं होगी, जिससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश में तेजी आने की संभावना है।

"मेक इन इंडिया" अभियान का आगाज होने के बाद से अक्तूबर 2014 से अप्रैल 2015 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वार्षिक आधार पर 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक अक्तूबर 2014 से अप्रैल 2015 के बीच भारत में 19.84 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था, जो पिछले साल की समान अवधि में 13.4 अरब डॉलर था। गौरतलब है कि वित्तवर्ष 2014–15 में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में 1.11 लाख करोड़ रुपये निवेश किए थे, जो 2013–14 में महज 79,708 करोड़ रुपये थे। नए साल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 40 से 45 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान है।

क्षेत्रों का चयन

"मेक इन इंडिया" की सफलता के लिए सरकार ने कुछ उद्योगों को चिन्हित किया है, जिसमें वाहन, वाहन कलपुर्जे, रक्षा, अंतरिक्ष, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण उपकरण, बुनियादी ढांचा, रसायन व पेट्रो–रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, दवा, कपड़ा, औद्योगिक उपकरण, विनिर्माण आदि शामिल होंगे। राज्य सरकारों में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि "मेक इन इंडिया" के चिन्हित क्षेत्रों जैसे वाहन, वाहन कलपुर्जे, रक्षा, अंतरिक्ष, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण उपकरण, बुनियादी ढांचा, रसायन व पेट्रो–रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, दवा, कपड़ा, औद्योगिक उपकरण, विनिर्माण आदि क्षेत्र में कार्य करेंगे।

मेक इन इंडिया का प्रभाव

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले वर्ष शुरू किए गए "मेक इन इंडिया" के नतीजे इस साल दिखने शुरू हो गए हैं और

देश में स्टार्टअप्स और ई–कॉमर्स उद्योग में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं। स्टार्टअप्स के तहत सरकार ने कारोबारियों को ढेर सारी रियायत देने की घोषणा की है, जिसमें कर में छूट, लाइसेंस पाने की प्रक्रिया को आसान, लाइसेंस राज से मुक्ति, कारोबार शुरू करने एवं बंद करने में आसानी, पर्यावरण से जुड़ी अनुमति पाने की प्रक्रिया को सरल बनाना आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं से "मेक इन इंडिया" की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। क्लिक जॉब्स डॉट कॉम के अध्ययन के मुताबिक 2016 में तकरीबन 12 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है।

2015 में सबसे अधिक नौकरियों का सृजन करने वाले क्षेत्रों में आईटी, ई–कॉमर्स, दूरसंचार, खुदरा, ढांचागत क्षेत्र, स्वास्थ्य व फार्मा, बैंकिंग एवं वित्त, मीडिया व मनोरंजन, शिक्षा आदि क्षेत्र शामिल रहे हैं। क्लिक जॉब्स डॉट कॉम की रिपोर्ट में साफतौर पर कहा गया है कि 2016 में नये कर्मचारियों की भर्ती की वृद्धि दर 45 प्रतिशत रह सकती है, वहीं वेतन वृद्धि की दर 20 से 30 प्रतिशत रहने का अनुमान है। क्लिक जॉब्स डॉट कॉम के अनुसार 2016 में "मेक इन इंडिया" की पहल से विमानन उद्योग, मीडिया व मनोरंजन, शिक्षा, आईटी और ई–कामर्स में तेज वृद्धि रहने की संभावना है।

स्टैंड अप इंडिया

स्टैंड अप इंडिया को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 जनवरी 2016 को मंजूरी दे दी। स्टैंड अप इंडिया की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में राष्ट्र को संबोधित करते हुए की थी। इस घोषणा का मकसद समाज के सभी लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना था। इसलिए, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कारोबारियों को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। योजना को लागू कराने में बैंकों की अहम भूमिका होगी। बैंकों को समाज के हाशिये में रहने वाले इन तीनों वर्गों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी होगी। हर बैंक शाखा को प्रत्येक वर्ग को ऋण सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

इस योजना के तहत तकरीबन 2.5 लाख लोगों को ऋण सुविधा दिए जाने का लक्ष्य है, जिसे योजना के शुरू होने के 36 महीनों के अंदर पूरा करना होगा। साथ ही, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कर्जदारों को बैंकों द्वारा तकनीकी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, कर्ज 7 सालों के लिए दिया जाएगा, मार्जिन मनी 25 प्रतिशत होगी, कर्ज 10 लाख से 100 लाख तक दिया जा सकेगा। बैंक पर एनपीए का और बोझ नहीं पड़े, इसलिए कर्ज को सरकार ने अपनी क्रेडिट गारंटी द्वारा सुरक्षित बनाया है।

घरेलू कंपनियों के उत्पादों को बढ़ावा

"मेक इन इंडिया" की सफलता के लिए शुरुआती दौर में सरकार घरेलू कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पादों को खरीद रही है। इस आलोक में सरकार ने अपने मंत्रालयों एवं अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे देशी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रयास करें। सरकार चाहती है कि देश में विदेशी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का फिलहाल आयातन किया जाए, ताकि घरेलू कंपनियों के उत्पादों को आम जन तक पहुंचाने में मदद मिल सके। हालांकि, सरकार घरेलू कंपनियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री बढ़ाने का भी प्रयास करेगी। इस संबंध में सचिवों की एक समिति ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को उत्पाद के साथ उसके मूल्य से संबंधित संपूर्ण विवरण अंकित करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक सभी मंत्रालय और विभागों को चाहिए कि वे खरीददारी के लिए घरेलू उत्पादों की पहचान करें और हर पखवाड़े के अंत में उसके बारे में संबंधित अधिकारियों व मंत्रालयों को सूचित करें, ताकि मामले में अपेक्षित परिणाम निकले।

माना जा रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू सामानों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार यह भी चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग की ओर से जारी टेंडरों के लिए ड्राफ्ट मसौदे का सख्ती से अनुपालन किया जाए। विभागों को यह भी कहा गया है कि खरीददारी के लिए ऑनलाइन प्रणाली का निर्धारण किया जाए, ताकि मामले में कोई गड़बड़ी न हो।

फायदे

"मेक इन इंडिया" के सपने के साकार होने से वस्तुओं का निर्माण देश में होगा, जिससे उनकी कीमत कम होगी। विदेशों से वस्तुओं का आयात करने से उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि उत्पादों को विदेश से लाने में हुए खर्च को भी उत्पादों की कीमत में शामिल किया जाता है। अगर किसी वस्तु का निर्माण देश में होगा तो देश के लोगों की जरूरत तो पूरी होगी ही, साथ ही साथ निर्यात से देश में विदेशी मुद्रा आएगी, आय में इजाफा, अंतर्देशीय व्यापार में मुनाफा, सरकारी खजाने में बढ़ोतरी, विकास दर में इजाफा, अर्थव्यवस्था में मजबूती, रोजगार दर में वृद्धि आदि संभव हो सकती है। "मेक इन इंडिया" से हमारा देश 'मैन्युफैक्चरिंग हब' बन सकता है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में 12 से 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो सकती है। सरकार चाहती है कि "मेक इन इंडिया" की मदद से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2022 तक बढ़कर 16 से 25 प्रतिशत, 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन, घरेलू मूल्य संवर्धन

आदि संभव हो। इसलिए, इस पूरी प्रक्रिया को ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीब लोगों के समग्र विकास के लिए समुचित कौशल के निर्माण के रूप में भी देखा जा रहा है।

रोजगार के अवसरों में इजाफा

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान (एनएसएसओ) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के संदर्भ में रोजगार के अवसरों में बीते सालों कमी आई थी। वर्ष 2005 में 29 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल रहा था, जोकि 2012 में घटकर 22 प्रतिशत हो गया। विगत वर्षों में आई मंदी की वजह से भी रोजगार के अवसरों में कमी आई थी। अर्थव्यवस्था की पतली हालत की वजह से भी कुछ साल पहले निजी व सरकारी दोनों क्षेत्र बेरोजगारों को स्थायी नौकरी देने में अपने को असमर्थ पा रहे थे। इस वजह से भारत में फ्लेक्सिबल स्टाफिंग का चलन शुरू किया गया। इस संकल्पना को मोटे तौर पर संविदा आधारित नौकरी के तौर पर देखा जा सकता है। इसके तहत अस्थायी तौर पर लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी), राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा आजकल इस तरह की नौकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

स्पष्ट है कि बेरोजगारी का दंश झेल रहे भारत का विकास "मेक इन इंडिया" के बिना संभव नहीं हो सकता है। इक्कीसवीं सदी में भी हमारे देश में रोजगार कार्यालय खोले जा रहे हैं। फिर भी, अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पा रहा है। रोजगार के अभाव में युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। बहरहाल, माना जा रहा है कि "मेक इन इंडिया" से रोजगार के अवसरों में जबर्दस्त इजाफा आएगा और जब ग्रामीण, कस्बाई एवं शहरी इलाकों में कुटीर उद्योग आकार लेने लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा।

गरीबी को दी जा सकती है मात

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया से भुखमरी खत्म करने के लिए प्रति व्यक्ति सालाना 160 डॉलर, यानी तकरीबन 10,000 रुपये की जरुरत होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने कहा है कि 2030 तक विश्व से स्थायी तौर पर भुखमरी को खत्म करने, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निवेश करने एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त 267 अरब डॉलर प्रति वर्ष की आवश्यकता होगी। ऐसा होने से गरीबों को दो वक्त की रोटी मिलेगी, जिससे उनके जीवन–स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो सकेगा। एफएओ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने अपनी साझा रिपोर्ट में कहा है कि अगर पन्द्रह वर्षों में सभी औसतन 160 डॉलर प्रतिवर्ष आय अर्जित करते हैं तो भुखमरी पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। आज की तारीख में विश्व में लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो दो वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तकरीबन 30 करोड़ लोग गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं, जबकि यहां एक परिवार के लिए प्रतिदिन दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए महज 100 रुपये की

स्टार्ट अप इंडिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में स्टार्ट अप इंडिया अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत के युवा नौकरी खोजने वाले के बजाय रोजगार पैदा करने वाले बनें। उन्होंने कहा कि यदि एक स्टार्ट अप सिर्फ 5 लोगों को भी रोजगार दे तो यह भी राष्ट्र की बड़ी सेवा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्ट अप को पहले तीन साल तक लाभ पर आयकर के भुगतान से छूट दी जाएगी।

स्टार्ट अप इंडिया को "मेक इन इंडिया" की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। "मेक इन इंडिया" का सपना साकार करने के लिए स्टार्ट अप इंडिया की जरूरत है। दरअसल, प्रधानमंत्री इस योजना की मदद से देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, विकास दर में इजाफा आदि लाना चाहते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए है जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन देश में अनुकूल माहौल नहीं होने या कारोबार शुरू करने में आने वाली बाधाओं को देखते हुए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा, कारोबारियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारियों के लिए अनेक रियायतों की घोषणा की है।

इस योजना के तहत कारोबारियों को स्वसत्यापन की सुविधा, निरीक्षण में 3 सालों की रियायत, पेटेंट आवेदन शुल्क में 80 प्रतिशत तक की कटौती, पेटेंट नियमों को सरल, नए उद्यमियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपये के कोष का निर्माण, सरकारी खरीदारी में कारोबारियों को समान अवसर, कारोबारियों की सुविधा के लिए 500 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत, कारोबार बंद करने के लिये आसान शर्तें, सार्वजनिक–निजी साझेदारी के लिए 35 नए इनक्यूबेटर, राष्ट्रीय संस्थानों में 31 नए नवाचार केंद्र, 7 नए अनुसंधान पार्क, 5 बायो–क्लस्टर, सेक्टर केंद्रित इनक्यूबेटर, प्रयोगशाला, कारोबारियों के कारोबार में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, कर में छूट, लाइसेंस राज से मुक्ति आदि सुविधाएं कारोबारियों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

जरुरत होती है, लेकिन इतना कमाना भी लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। माना जा रहा है कि "मेक इन इंडिया" के तहत सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे वे अपनी आजीविका चलाने में समर्थ हो सकेंगे।

बदलेगी ग्रामीण भारत की तस्वीर

ग्रामीण भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग निवास करते हैं। ग्रामीण भारत में कृषि ही रोजगार का एकमात्र विकल्प है। कुटीर उद्योगों के अभाव में लोगों की निर्भरता कृषि पर लगातार बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र में छदम रोजगार की स्थिति बनी हुई है। एक इंसान की क्षमता वाले काम को अनेक लोग मिलकर कर रहे हैं। खेती–किसानी में दो वक्त रोटी का इंतजाम करना आज मुश्किल हो गया है। खेती–किसानी के दौरान रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करने के लिए किसानों को वित्तीय मदद की जरुरत होती है, जिसकी पूर्ति के लिए किसानों को अक्सर महाजन की शरण में जाना पड़ता है। दरअसल, भारत में खेतीबाड़ी आज भी भगवान भरोसे है। ग्रामीण भारत में कृषि कार्य हेतु समुचित व्यवस्था नहीं है।

आधारभूत संरचना की कमी को दूर करने, रोजगार में बढ़ोतरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती, खेती–किसानी की बेहतरी आदि के लिए ही सरकार ने "मेक इन इंडिया" की संकल्पना का आगाज किया है। इस दिशा में स्वयंसहायता समूह (एसएचजी), वित्तीय संस्थान आदि की मदद से "मेक इन इंडिया" के कार्यों को गति दी जा सकती है। वैसे, इस दिशा में प्रयास पहले से किए जा रहे हैं, लेकिन उसे गति देने की जरूरत है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में भी एसएचजी छोटे स्तर पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। वे जूते व चप्पल, बर्तन, कपड़े, घरेलू जरूरत की वस्तुएं, पापड़, अचार, कुर्सी–टेबल आदि बना रहे हैं, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बने हुए होते हैं।

शहरों में सरस मेले में इन सामानों की बानगी को देखा जा सकता है। अगर सरकार इन सामानों की बिक्री के लिए प्रयास करे या प्रोत्साहन दे तो मौजूदा स्थिति में बदलाव आ सकता है। हालांकि, सरकार इस संदर्भ में अनेक कल्याणकारी योजनाएं जैसे, पीएमईजीपी, एसजीएसवाई आदि चला रही है, जिससे इस तरह के कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन इन प्रयासों को तब तक पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, जब तक स्वदेशी सामानों के समुचित विपणन एवं बिक्री की व्यवस्था न की जाए। हमारे देश में मानव संसाधन की कमी नहीं है। देश में वैसे लोग भी बेरोजगार हैं, जिनके पास बड़ी–बड़ी डिग्रियां एवं ज्ञान दोनों हैं, लेकिन सही दिशा नहीं मिलने के कारण वे अपना योगदान देश के विकास में नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे लोग "मेक इन इंडिया" की संकल्पना को स्वरोजगार के माध्यम से साकार कर सकते हैं।

लोगों को आत्मनिर्भर एवं देश में समावेशी विकास को गति देने के लिए ही महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1918 में हथकरघा की मदद से घर–घर में हाथों से कपड़ा बनाने का आह्वान किया था। इस आलोक में खादी के कपड़ों का व्यापक–स्तर पर निर्माण करके गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया था। जाहिर है, जब घर के सभी सदस्य मिलकर कपड़ा बुनेंगे तो घर की आमदनी में इजाफा, बचत को बढ़ावा, परिवार को दो वक्त की रोटी का मिलना, दूसरे पर से निर्भरता का समापन आदि संभव हो सकेगा। जब गांव के सभी लोग इस मार्ग पर चलने लगेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही, देश में समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। गांधी जी चाहते थे कि इस हुनर को देश के हर गांव में विकसित किया जाए, ताकि देश में कोई बेरोजगार न रहे, क्योंकि इस तकनीक में नाममात्र पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए कोई भी इस विधि का अनुसरण करके आत्मनिर्भर बन सकता है।

निष्कर्ष

बेशक, हमारे पास "मेक इन इंडिया" से जुड़े अनेक विकल्प हैं। इसकी सफलता के लिए प्रयास करने के साथ–साथ हमें अपनी मानसिकता भी बदलने की जरूरत है। हम बिना दूरगामी विचार किए विदेशों खासकर चीन में बने सामानों का इस्तेमाल करते हैं। हालात इतने खराब हैं कि आज देश के गली–मोहल्लों में चादर, देवी–देवता, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य सामग्री आदि जो चीन में बने होते हैं, का उपभोग हमारे द्वारा किया जा रहा है। बिना बिल के इन सामानों को खरीदने में कभी भी हमें अपने कर्तव्यों का अहसास नहीं होता है। इसलिए, जरूरत हमें अपनी मानसिकता को भी बदलने की है।

"मेक इन इंडिया" से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए सरकार को एक निश्चित रूपरेखा बनाने की जरूरत है। इस दिशा में सरकार को योजनाबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से काम करना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दर्शन "मिनीमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" का है, जिसका अर्थ है देश में सुशासन कायम किया जाए और लालफीताशाही को खत्म करके डिलीवरी प्रणाली को मजबूत किया जाए। अगर ऐसा होता है तो देश के दूरदराज के इलाकों में भी "मेक इन इंडिया" की संकल्पना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा।

(लेखक वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, पटना में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक मुख्यधारा की पत्रकारिता में इनकी सक्रिय भागीदारी रही है और विगत चार वर्षों से पत्र–पत्रिकाओं के लिए मुख्य तौर पर आर्थिक एवं बैंकिंग विषयों पर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं।)

ई–मेल : satish5249@gmail.com/singhsatish@sbi-co-in